## NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE-CHANCELLOR, MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY, GORAKHPUR (U.P.)

Advt. No. E-8721/2024

Dated: November 20, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for the Mahayogi Guru Gorakhnath Ayush University, Gorakhpur (U.P.), established under The State Ayush University Uttar Pradesh Act, 2020 (No. 6 of 2020) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12(1) of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Ayurveda/Homeopathy/Unani medical Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 16-12-2024 (Monday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.

## महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-8721/2024

दिनांक : नवम्बर 20, 2024

महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (क. 6 सन् 2020) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपित की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा—12(1) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से कुलाधिपित के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि या 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्टा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को आयुर्वेद / होम्योपैथी / यूनानी चिकित्सा विख्यात शिक्षाविद होने के साथ—साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपित का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपित द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 16.12.2024 (सोमवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।